


7/1/21

7/1/21

नि. अ. अ. अ.




आशा देवी
रामलाल

नाम

Indrani

~~Indrani~~



नि. अ. अ.


सीताराम

अ. अ. अ. अ. अ.

अ. अ. अ. अ. अ.

गीता

नि. अ. अ.



मनोहर
अ. अ. अ. अ. अ.

मीना

Indrani


~~Indrani~~

~~Indrani~~

पत्रावली पैरा 1 वकील वादी ने प्रार्थना
पत्र व बकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रिवादी
सू 1 के वादिसान की तरफ से अधिवक्ता
श्री अजय सिंह ने बकालतनामा प्रस्तुत किया।

सू 1 वाद में रामचन्द्र पुत्र गुला वादी सू 1 था,
माननीय न्यायालय राजा-व मंडल अजमेर
के निर्णय दिनांक 31/10/11 द्वारा वादी
सू 2 का बर्ग प्रिवादी प्रतिस्थापित
करने का आदेश दिया गया था। आज
वकील वादीगण द्वारा वाद शीर्षक प्रस्तुत
किया गया व जिसे शामिल मिलल किया
गया, तथा वादीगण व रामचन्द्र के
वादिसान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर
वाद विद्वू करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
किया गया। राजीनामा शामिल मिलल
किया गया। चूंकि मुहम पक्षकारान
वादीगण वाद विद्वू करना चाहते हैं
तो न्यायालय राजा न्यायोचित समझता
है कि जब तक वादीगण वाद विद्वू करना
चाहते हैं तथा मुहम पक्षकारान आपस में
राजीनामा द्वारा प्रकरण को निहारा करना
चाहते हैं तो न्यायालय को पक्षकारान को
इसका अवसर देना चाहिए। वादीगण व प्रिवादी
के वादिसान वराने अपील अपील न्यायालय
में पक्षकारान वन चुके हैं। अतः पक्षकारान द्वारा

प्रस्तुत वाद विद्वा प्रार्थना पत्र का स्वीकार
कर वाद विद्वा फिर जाने की अनुमति
दी जाती है। परसकालन / वादीगण द्वारा
वाद विद्वा फिर जाने पर वाद विद्वा में
स्वार्थ किमा जाता है।


उपरखण्ड अधिकारी
साँभर लोक (जयपुर)